सायबर कानूनों की जानकारी व सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी

आईजी कपूर ने छात्रों को बताए सायबर क्राइम से बचने के उपाय

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
news.indore@peoplessamachar.co.in

टेक्नालॉजी का आज हर कोई खूब उपयोग कर रहा है लेकिन इंटरनेट पर जरा सी असावधानी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। आप सायबर क्राइम का शिकार भी हो सकते हैं। टेक्नालॉजी का उपयोग करते समय खास तौर पर विद्यार्थियों को सायबर कानून की जानकारी और सुरक्षा उपाय का ध्यान रखना जरूरी है।

ये बात पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) के निदेशक आईजी वरुण कपूर ने मंगलवार को एक्रोपॉलिस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड रिसर्च में आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों से कही। पीआरटीएस द्वारा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में सायबर जागरूकता के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। मंगलवार को आयोजित 90वीं कार्यशाला में 214 विद्यार्थियों व 20 फैकल्टीज ने भाग लिया। आईजी कपूर ने सायबर सुरक्षा के मूलमंत्रों से अवगत कराते हुए कहा कि दैनिक जीवन में कोई भी गतिविधि से पहले हमें उनके कानूनों की जानकारी होना चाहिए ताकि वह सुचारू रूप से संचालित हो सके, अपितु गलत निर्णय करने से बचा जा सके। यह देखने में आता है कि सायबर कानूनों की जानकारी नागरिकों को ठीक से नहीं होती और न ही आवश्यक सुरक्षा की जानकारी। इसी का लाभ सायबर अपराधी उठा लेते हैं। उन्होंने छात्रों को सायबर क्राइम के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया व रोचक उदाहरणों से सावधानियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा. कि टेक्नालॉजी का सदुयोग होना चाहिए, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। आईजी कपूर ने कहा कि वर्तमान में सायबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। एसपी सुदीप गोयनका ने इस अवसर पर सुरक्षित पासवर्ड तैयार करने, सायबर बुलिंग, स्टॉकिंग एवं आईटी एक्ट के बारे में बताया। कार्यशाला में श्रेष्ठ जवाब देने वाले छात्र अपर्ण गुणावत एवं शिवानी गुप्ता को प्रशस्ति पत्र व गोल्डन बैज से सम्मानित किया गया।